1969 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार का गठन हुआ था। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।

फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए अमिताभ

सम्मान ▶ राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया अवार्ड

महानायक ने भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और जूरी के सदस्यों का जताया आभार

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को रविवार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। अमिताभ ने सम्मान पाने के बाद समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया।

अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान पिछले सोमवार को ही यह सम्मान लेना था। लेकिन अमिताभ ने कहा था कि खराब सेहत के चलते वह यात्रा नहीं कर सकते और दुर्भाग्य से वह सम्मान लेने के लिए वहां उपस्थित नहीं होंगे। यह पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके तहत एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। अवॉर्ड लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें दादासाहेब पुरस्कार के योग्य समझने के लिए भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के जूरी के सदस्यों का आभार जताया। अमिताभ बच्चन ने कहा, 'ईश्वर की कृपा रही है, माता-पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के निर्माता-निर्देशकों और सह-कलाकारों का भी साथ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह व निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन दर्शकों का रहा है जिनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इस पुरस्कार को विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं।'

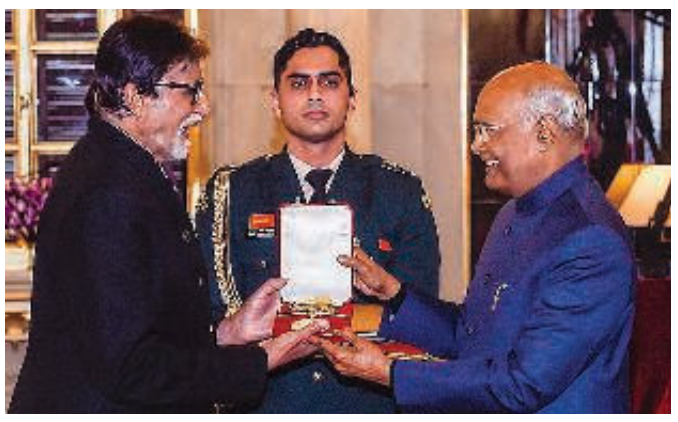

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों के लिए सबसे प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर जया बच्चन और अभिषेक भी उपस्थित रहे। प्रेट्र

अभी बहुत काम बाकी है : अमिताभ ने आगे कहा, 'अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जब मुझे यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो मन में संदेह उठा कि क्या कहीं ये मेरे लिए संकेत है कि भाई साहब आपने बहुत काम कर लिया अब आप घर बैठिए। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है जिसे पूरा करना है और आगे ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी बात होगी होगी।'

1969 में 'सात हिंदुस्तानी' से शुरू हुआ फिल्मी सफर : अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में पांच दशक से सक्रिय हैं। उनका फिल्मी करियर 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' के साथ शुरू हुआ था। दिलचस्प है कि उसी साल यानी 1969 में ही दादासाहेब फाल्के पुरस्कार का गठन हुआ था। अमिताभ ने लगातार काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। फिल्म जगत में दिए गए योगदान के लिए ही उन्हें दादासाहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया।

1973 में जंजीर से मिली सफलता : अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा था। मगर साल 1973 में जंजीर फिल्म उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। फिल्म से उनकी इमेज इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अब तक मिले हैं कई पुरस्कार : मेगा स्टार और बिग बी के नाम से भी जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन को अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अमिताभ को साल 1984 में 'पद्म श्री' , 2001 में 'पद्म भूषण' और 2015 में 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था। एक समय था जब उनका फिल्मी करियर खत्म मान लिया गया था। दूसरी दौर में उन्होंने 'ब्लैक' और 'पा' जैसी प्रयोगधर्मी फिल्में कीं।

टीवी के शो ने संभाला : अमिताभ के करियर में एक समय ऐसा भी आया था, जब वह आर्थिक परेशानियों से घिर गए थे। उसी दौरान वो साल 2000 से टीवी पर प्रसारित होने वाले गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट बने। उसके बाद तो उन्होंने टीवी पर कामयाबी का नया इतिहास रचा।

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

कर्नाटक सरकार ने की तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा

अष्ट मठों के सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे विश्वेश तीर्थ

उडुपी, प्रेट्र : दक्षिण भारत के प्रमुख धर्मगुरुओं में एक पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का संक्षिप्त बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 88 वर्षीय स्वामीजी रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कर्नाटक सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

द्वैतवाद के दार्शनिक मध्वाचार्य द्वारा 800 साल पहले स्थापित अष्ट मठों के विश्वेश तीर्थ सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे। 19 दिसंबर को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद उनको मणिपाल के केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पेजावर मठ लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वामीजी के पार्थिव शरीर को यहां से 800 साल पुराने उडुपी श्रीकृष्ण मठ ले जाया गया और माधव सरोवर में स्नान कराया गया। इसके बाद एक खुली जीप में उनके पार्थिव शरीर को गोविंद, गोविंद के उच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए अजरजाद स्टेडियम ले जाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेजावर मठ के प्रमुख स्वामी विश्वेश तीर्थ की फाइल फोटो। एनएनआइ

कई मंत्री और मुख्यमंत्री समेत हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

बेंगलुरु, प्रेट्र : पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी को नेशनल कॉलेज मैदान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल और राजस्व मंत्री आर अशोक ने भी श्रद्धांजलि दी। स्वामीजी के पार्थिव शरीर को विशेष हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज मैदान लाया गया। राज्य के सुत्तूर मठ के शिवरात्रि देशिकेंद्र स्वामीजी, श्रवण बेलगोला जैन मठ के चारुकीर्ति भट्टारक स्वामीजी समेत कई प्रमुख मठों के संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी लाखों लोगों के मन में बने रहेंगे, जिनके लिए वे हमेशा पथ प्रदर्शक थे। सेवा और आध्यात्मिकता के वे पावर हाउस थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। ओम शांति।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

छात्रा से छेड़छाड़ में आइआइटी प्रोफेसर को जबरन सेवानिवृत्ति

जागरण संवाददाता, कानपुर : आइआइटी कानपुर में तीन महीने पहले विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर आशु जैन को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। शनिवार को आइआइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। तीन महीने चली जांच में प्रोफेसर, कर्मचारी व छात्र-छात्राओं से पूछताछ के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फैसले के बाद दोषी प्रोफेसर को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया भी आइआइटी प्रशासन ने शुरू कर दी है। आइआइटी के इतिहास में किसी प्रोफेसर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का यह पहला मामला होगा।

आइआइटी में फ्रांस की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सितंबर में हुआ था। शिकायत के बाद भी आइआइटी प्रशासन उसे सप्ताहभर तक दबाने में लगा रहा। इस चुप्पी पर छात्रा ने संस्थान के वूमेन सेल और फ्रांसीसी दूतावास में शिकायत की। दूतावास के दबाव बनाने पर आइआइटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। दूतावास के अफसरों ने भी आइआइटी प्रशासन से पूछताछ की थी। तीन महीने तक विदेशी छात्र-छात्राओं के अलावा प्रोफेसर व कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई बार अलग-अलग जांच समितियों ने रिपोर्ट दी, जिसका विश्लेषण करने के बाद आखिरकार 28 दिसंबर को हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में प्रोफेसर को दोषी माना गया और जबरन सेवानिवृत्ति का फैसला सुनाया गया।

आइआइटी के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जबरन सेवानिवृत्ति को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, हालांकि उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि करने से मना कर दिया। इस मामले में कई बार निदेशक को फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पहले मामले को दबाने वाला आइआइटी प्रशासन फैसले के बाद भी किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी देने से बच रहा है।

रवीना टंडन, भारती सिंह व फराह खान पर एक और केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर

- **टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को किया था आहत**
- **अमृतसर के अजनाला थाने में भी तीनों के खिलाफ हो चुका है केस दर्ज**

टीवी शो के दौरान ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक व कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह पर पंजाब पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। यह केस फिरोजपुर कैंट थाने में दर्ज किया गया है। इससे पहले अमृतसर के अजनाला थाने में भी केस दर्ज हो चुका है।

फिरोजपुर शहर के कंबोज नगर निवासी विजय गोरिया ने पुलिस को सौंपी शिकायत में आरोप लगाया कि टीवी शो में फराह खान ने पवित्र बाइबल के शब्द हलेलूयाह बोला और इसे ब्लैकबोर्ड पर लिखा। कॉमेडियन भारती सिंह और अभिनेत्री रवीना टंडन से इस शब्द का मतलब बताने को कहा। भारती व रवीना ने इस शब्द के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर मजाक उड़ाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि पवित्र शब्द के बारे में गलत टिप्पणियां करना शर्मनाक है। किसी विशेष समुदाय के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जांच अधिकारी एएसआइ बलविंदर सिंह का कहना है कि शिकायत पर फराह खान, भारती सिंह और रवीना टंडन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया गया है। वहीं, ईसाई भाईचारे ने रविवार को अमृतसर के सेंट मैरी चर्च के बाहर भारती सिंह,

अमृतसर के सेंट मैरी चर्च के बाहर पुतला फूंकते ईसाई समुदाय के लोग। जागरण

रवीना टंडन व फराह खान के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और तीनों के पुतले फूंके। इस दौरान डॉ. सुभाष थोबा ने कहा कि तीनों ने जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं अटारी में भी तीनों के खिलाफ रोष जताया गया। तरनतारन में भी ईसाई समुदाय ने रोष प्रदर्शन किया और धरना देकर नारेबाजी की।

राम मंदिर मॉडल में संशोधन के दावे को विहिप ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, अयोध्या : विहिप ने राममंदिर मॉडल में संशोधन के दावे को खारिज किया है। विहिप के केंद्रीय सलाहकार पुरुषोत्तम नारायण सिंह एवं प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि इस दिशा में कोई भी निर्णय रामजन्मभूमि न्यास की बैठक के बाद ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, जिन कार्यशाला अधीक्षक के हवाले से यह बयान जारी किया गया है, वे अधिकृत नहीं हैं और इस तरह का बयान देने का हक न्यास अध्यक्ष और मंत्री के साथ विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही है। सोशल मीडिया को दिए बयान में मंदिर निर्माण कार्यशाला के अधीक्षक अन्नू भाई सोमपुरा ने बताया था कि राममंदिर मॉडल के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का नया नक्शा तैयार किया है, जिसमें पुराने मॉडल को विस्तार दिया गया है। इसके मुताबिक प्रस्तावित मंदिर में एक मंडप तथा एक मंजिल की और शिखर में भी 33 फीट की वृद्धि संभावित है। फिलहाल रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित जिस मंदिर के लिए गत तीन दशक से पत्थरों की तराशी चल रही है, वह 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा है। नृत्यमंडप, रंगमंडप, गर्भगृह के रूप में पांच प्रखंड हैं। वह दो मंजिल का है। कथित संशोधन के बाद मंदिर तीन मंजिल का, छह प्रखंड वाला और 161 फीट ऊंचा होगा।

पीएफ के 97 करोड़ रुपये जमा न करने पर एचईसी के बैंक खाते फ्रीज

मधुरेश नारायण, रांची

- **नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर ईपीएफओ ने की कड़ी कार्रवाई**
- **बैंक खाते जब्त करने पर भी कंपनी से वसूली नहीं होने पर एचईसी की संपत्ति बेची भी जा सकती है**

हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) ने 97 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर एचईसी के सात बैंक खाते सीज कर दिए हैं। ईपीएफओ के अधिकारी के अनुसार, नवंबर के आखिरी सप्ताह में एचईसी को वर्षों पुराने बकाये के भुगतान के लिए नोटिस दिया गया था। इसमें साफ-साफ कहा गया था कि अगर कंपनी भविष्य निधि के पैसे का भुगतान नहीं करती है तो एचईसी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। वहीं, एचईसी की निदेशक (वित्त) अरुंधति पांडा ने कहा है कि ईपीएफओ ने नवंबर में जो नोटिस दिया था उसका जवाब देने की तैयारी प्रबंधन की ओर से की जा रही है। पांडा वर्तमान में एचईसी की सीपीएफ ट्रस्टी हैं।

भुगतान नहीं तो संपत्ति बेच कर जुटाई जाएगी राशि : ईपीएफओ के अनुसार, अगर बैंक खाते जब्त करने के बाद भी देय राशि कंपनी से वसूल नहीं हो पाती है तो वो एचईसी की संपत्ति को जब्त कर बेच सकती है। इधर, कंपनी की आर्थिक हालत काफी नाजुक है। ऐसे में कंपनी के लिए 97 करोड़ का भुगतान करना बहुत मुश्किल है।

क्या है मामला : एचईसी की ओर से कर्मियों का पीएफ वर्ष 1976 से लेकर 1999 तक निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया था। इसके भुगतान के लिए ईपीएफओ ने वर्ष 2003 में एचईसी को नोटिस दिया था। तब कंपनी ने घाटे में होने की बात कही और पैसे देने में असमर्थता जाहिर की थी। वर्ष 2007 में कंपनी ने केंद्र सरकार से मिले पुनरुद्धार पैकेज से बकाया और ब्याज की राशि का कुछ पैसे का भुगतान किया था। इसके बाद भी ईपीएफओ के 97 करोड़ रुपये बाकी रह गए। मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर स्टे लगा दिया। बाद में ईपीएफओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पीटिशन) दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया जिसके बाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 के पहले हफ्ते में एचईसी की आपत्ति को मेरिट पर नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

रांची के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 विकास आनंद ने इस बारे में बात करने पर कहा, नवंबर के अंतिम सप्ताह में एचईसी को 15 दिन के अंदर बकाया पैसे जमा करने को लेकर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन एचईसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एचईसी के सात बैंक खाते अटैच किए गए हैं। अगर इन खातों के माध्यम से रिकवरी नहीं होती है तो एचईसी के अन्य स्रोतों से रिकवरी की जाएगी।

सुरक्षा

आतंकियों की घुसपैठ रोकने के साथ विस्फोटक सामग्री को भी खोज रहे सेना के कुत्ते, प्राकृतिक आपदा के बारे में जवानों को पहले से सचेत करने में भी निभा रहे भूमिका

एलओसी पर दुश्मनों को पस्त कर रहा श्वान दस्ता

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सेना के श्वान दस्ते के सदस्य कश्मीर में बर्फ से घिरी नियंत्रण रेखा पर जवानों के साथ कदम मिलाते हुए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। विपरीत हालात में भी सेना के ये कुत्ते आतंकियों की घुसपैठ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये खामोश प्रहरी सरहद पर हर आफत का सामना करते हुए जवानों को सचेत भी कर रहे हैं।

उत्तरी कश्मीर में सेना के श्वान दस्ते के सदस्य बूजो किसी हीरो से कम नहीं है। बूजो ने गत दिनों क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। बूजो के साथ सेना के श्वान दस्ते के रोमा, डेविल भी अग्रिम चौकियों पर डेरा डालने वाले ऐसे कुत्ते हैं जो बर्फ की आड़ में घुसने वाले दुश्मन की दूर से पहचान कर सैनिकों को सचेत कर देते हैं।

डेढ़ सौ से अधिक हैं प्रशिक्षित कुत्ते : नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को पुख्ता करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सेना के श्वान दस्ते में 150 से अधिक प्रशिक्षित कुत्ते हैं। वे दुश्मन पर हमला कर उसे काबू में करने, दुश्मन को ट्रैक करने व विस्फोटक, अन्य संदिग्ध वस्तुओं को तलाशने में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनमें अधिकतर डबल फर वाले जर्मन शैफर्ड नस्ल के कुत्ते हैं। ये अग्रिम इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं।

लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते भी कमाल के : लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते पिछले इलाकों में आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सक्रिय हैं। वे दुश्मन को ट्रैक करने व विस्फोटक, अन्य संदिग्ध वस्तुओं को खोज निकालने में महारत रखते हैं। एलओसी पर उनकी सूचना को पूरी गंभीरता से लेते हुए सेना के जवान कार्रवाई करते हैं।

मीना ने नाकाम की थी पुलवामा दोहराने की साजिश : इस वर्ष कश्मीर में पुलवामा दोहराने के लिए आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश साजिश को सेना की लैब्राडोर मीना ने नाकाम बनाया था। आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर में हाईवे पर 25 किलो आइईडी लगाई थी। मीना ने इसे तलाश लिया। इससे एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई।

रोमा ने हिमस्खलन से बचाया सैनिकों को : सेना के श्वान दस्ते की रोमा ने हिमस्खलन होने से पहले ही कश्मीर में सैनिकों को सतर्क कर दिया। रोमा के संकेतों को गंभीरता से लेते हुए सैनिक अस्थायी आश्रय स्थल से हट गए थे।

मानसी की शहादत रहेगी याद : सेना श्वान दस्ते की सदस्य मानसी की शहादत को हमेशा याद करती है। चार साल की लैब्राडोर को बहादुरी के लिए मेंशन इन डिस्पैच सर्टिफिकेट मिला था। उसका नाम भारत के गैजेट में आएगा।

जेम ने खोजा निकाला था आतंकवादी

सेना के श्वान दस्ते के सदस्य जेम ने उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ स्थल से भाग निकले आतंकवादी को तलाश लिया था। मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मार गिराए गए थे। तीसरा भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद जेम ने उस मकान को तलाश लिया, जहां तीसरा आतंकी छिपा था। इसके बाद तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

जीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार श्री नित्यानंद झा पुत्र श्री गंगाधर झा, पता भवन सं. 392 जी, न्याय खंड 1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद लोन एकाउंट नं. 480400MC00000195 को 05.07.2019 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि उक्त सूचना मिलने की तिथि/नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर, जबतक पूरा भुगतान नहीं होता है, आगे ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 20,13,441.37/- (रुपये बीस लाख तेरह हजार चार सौ एकतालीस एवं सैंतिस पैसे मात्र) का भुगतान करें।

कर्जदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे। एतद्द्वारा कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 26 दिसंबर, 2019 को उक्त नियमावली की नियम 8 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण एवं विशेषकर कर्जदार को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी को कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं प्रापर्टी ब्याज, लागत एवं खर्च के साथ 29.05.2019 को बकाया एवं देय रु. 20,13,441.37/- (रुपये बीस लाख तेरह हजार चार सौ एकतालीस एवं सैंतिस पैसे मात्र) की राशि हेतु पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्रभार से होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

25.86 वर्ग मी. का फ्लैट नं. जी-392, भूतल, न्याय खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित फ्लैट का समस्त भाग। बही नं. 1, जिल्द नं. 32436 पेज नं. 203 से 226, क्रमांक 17706, दिनांक 06.10.2016 को सब रजिस्ट्रार ऑफिसर गाजियाबाद में पंजीकृत।

चौहद्दी: उत्तर: गली/पार्क, दक्षिण: प्लॉट नं. जी-391, पूर्व: फ्लैट नं. जी-393, पश्चिम: प्लॉट नं. रोड

दिनांक: 26.12.2019
स्थान: गाजियाबाद

श्री जयंत कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

जीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार श्री नित्यानंद झा पुत्र श्री गंगाधर झा, पता भवन सं. 392 जी, न्याय खंड 1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद लोन एकाउंट नं. 480400MC00000284 को 05.07.2019 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि उक्त सूचना मिलने की तिथि/नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर, जबतक पूरा भुगतान नहीं होता है, आगे ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 20,13,441.37/- (रुपये बीस लाख तेरह हजार चार सौ एकतालीस एवं सैंतिस पैसे मात्र) का भुगतान करें।

कर्जदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे। एतद्द्वारा कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 26 दिसंबर, 2019 को उक्त नियमावली की नियम 8 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण एवं विशेषकर कर्जदार को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी को कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं प्रापर्टी ब्याज, लागत एवं खर्च के साथ 29.05.2019 को बकाया एवं देय रु. 20,28,315/- (रुपये बीस लाख अट्ठाइस हजार तीन सौ पन्द्रह) की राशि हेतु पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्रभार में होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

68.52 वर्ग मी. का फ्लैट नं. फ्लैट नं. 252, तृतीय तल, ब्लॉक-जी, सेक्टर-11, प्रताप विहार, गाजियाबाद समेत उसका समस्त भाग। बही नं. 1, जिल्द नं. 1063 पेज नं. 151 से 200, क्रमांक 6920, दिनांक 16.12.2004 को सब रजिस्ट्रार ऑफिसर गाजियाबाद में पंजीकृत।

चौहद्दी: उत्तर: पार्क नं. 251 यू, दक्षिण: 25 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट नं. 251 यू, पश्चिम: प्लॉट नं. 233 यू

दिनांक: 26.12.2019
स्थान: गाजियाबाद

श्री जयंत कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

जीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार मै. जानकी देवी विद्या मंदिर ट्रस्ट, श्रीमती जविता पत्नी अजय कुमार, पता: 80सी, अभय खंड 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश लोन एकाउंट नं. 480400MC00000275 को 14.10.2019 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि उक्त सूचना मिलने की तिथि/नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर, जबतक पूरा भुगतान नहीं होता है, आगे ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 67,49,055.91/- (रुपये सड़सठ लाख उनचास हजार तिरपन एवं इक्यानवे पैसे मात्र) का भुगतान करें।

कर्जदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे। एतद्द्वारा कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 26 दिसंबर, 2019 को उक्त नियमावली की नियम 8 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण एवं विशेषकर कर्जदार को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी को कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं प्रापर्टी ब्याज, लागत एवं खर्च के साथ 12.10.2018 को बकाया एवं देय रु. 67,49,055.91/- (रुपये सड़सठ लाख उनचास हजार तिरपन एवं इक्यानवे पैसे मात्र) की राशि हेतु पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: गामा, ग्रेटर नोएडा के प्रभार में होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

निम्नलिखित समस्त संपत्ति का समस्त भाग:
1. 25.66 वर्ग मी. का फ्लैट नं. 495, भूतल, न्याय खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित फ्लैट नं./प्लॉट नं./भवन सं. आवासीय इकाई, सब रजिस्ट्रार अधिकारी गाजियाबाद में बही नं. 1, जिल्द नं. 31806, पेज नं. 395 से 418, क्रमांक 10876 दिनांक 16.06.2016 को पंजीकृत
चौहद्दी: उत्तर: ओपन, दक्षिण: ग्रीन, पूर्व: प्लॉट नं. 496, पश्चिम: गली
2. 24.65 वर्ग मी. का फ्लैट नं. 495, भूतल, न्याय खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित फ्लैट नं./प्लॉट नं./भवन सं. आवासीय इकाई, मय-रजिस्ट्रार अधिकारी गाजियाबाद में बही नं. 1, जिल्द नं. 31042, पेज नं. 189 से 212, क्रमांक 2517 दिनांक 13.02.2016 को पंजीकृत
चौहद्दी: उत्तर: पैसेज-कम-पार्किंग, दक्षिण: प्लॉट, पूर्व: म.सं. 496, पश्चिम: म.सं. 494
3. 25.45 वर्ग मी. का फ्लैट नं. 483, भूतल, न्याय खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित फ्लैट नं./प्लॉट नं./भवन सं. आवासीय इकाई, सब रजिस्ट्रार अधिकारी गाजियाबाद में बही नं. 1, जिल्द नं. 20534, पेज नं. 171 से 226, क्रमांक 30549 दिनांक 09.11.2015 को पंजीकृत
चौहद्दी: उत्तर: ओपन पार्किंग-प्लैट, दक्षिण: प्रवेश एवं प्लॉट नं. 482, पूर्व: प्लॉट नं. 484, पश्चिम: प्लॉट नं. 485
4. 20.14 वर्ग मी. का फ्लैट